2811

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालय (राजस्व)एवं मण्डलीय आयुक्त
5,शामनाथ मार्ग,दिल्ली–110054

सार्वजनिक सूचना

राजस्व विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पात्र आवेदकों को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी कर रही है। मंत्री परिषद, दिल्ली सरकार ने दिनांक 25.07.2011 के निर्णय सं0 1792 के अनुसार उक्त आदेश में अनुमोदित किया कि यथा उल्लिखित जातियों के नाम से संबंधित योग्य आवेदकों को प्रमाण पत्र जारी करते समय अपमानजनक शब्दों वाले सभी ऐसे सन्दर्भ हटाए जाने चाहिए।

उक्त संविधान आदेश में परिवर्तन के लिए कानून की सीमाओं और दिनांक 16.04.2013 के मंत्री मण्डल निर्णय सं. 2009 के अनुसार मंत्री परिषद दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता की कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से दिनांक 25.07.2011 के पूववर्ती मंत्रीमण्डल निर्णय सं. 1792 और दिनांक 21.11.12 के निर्णय सं. 1960 की समीक्षा की और संविधान (अनु.जाति)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 के संबंध में मूल स्थिति बहाल की और यह भी निर्णय लिया गया था कि मामला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को आवश्यक परिवर्तनों के लिए भेजा जाए।

चूंकि मामला अभी भी भारत सरकार के पास लंबित है और दिल्ली में दिनांक 25.07.2011 से अब तक की अवधि के दौरान जारी किये गये अनु.जनजाति के प्रमाण–पत्र संविधान (अनुसूचित जाति)(संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951 के अनुसार नहीं हैं।

अतः विभाग ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 16.04.2013 के मंत्री मंण्डल निर्णय स.0 2009 को क्रियान्वित किया जाए। अनु.जाति की श्रेणी के जिन आवेदकों ने गलत नाम वाले प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये है उन सभी आवेदकों को अपना मूल प्रमाण–पत्र संम्बधित एसडीएम कार्यालय को सम्बधित प्रलेखो सहित वापस करने का एक अवसर दिया जाए और नए जाति प्रमाण–पत्र सही नाम सहित संबंधित तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किय जाएंगे।

जूही मुखर्जी
उपायुक्त (मुख्यालय–2)

JUHI MUKHERJEE
Dy. Commissioner (HQ)

P. upload on the web site of the Department

Sr. S.A.